

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 17.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आये फर्जी अभ्यर्थी (सॉल्वर) को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभिनव आलोक पुत्र अनिल कुमार सिन्हा निवासी बरहरवा सिवान थाना ढाका जनपद पूर्वी चम्पारण (बिहार) जो वर्तमान में रेलवे में ट्रैकमैन (ग्रुप – डी) के पद पर तैनात है।

आज दिनांक 17.02.2024 को अभिनव आलोक थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत नूरपुर रोड पर आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती – 2023 के रुट्स इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा केन्द्र पर आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी रामपुर



फूना पोस्ट औरंगाबाद उर्फ सिकंदरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर के स्थान पर परीक्षा देने आया हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अभिनव आलोक उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, प्रपत्र व आईड़ी कार्ड बरामद हुए है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

अभिनव आलोक पुत्र अनिल कुमार सिन्हा निवासी बरहरवा सिवान थाना ढाका जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार

मुल अभ्यर्थी का नाम व पता –

आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी रामपुर फूना पोस्ट औरंगाबाद उर्फ सिकन्दरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर



दिनांक- 17.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.02.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विवेक राजपूत पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 विवेक नगर सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार



किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अभि0 विवेक राजपूत पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 विवेक नगर सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- आरक्षी 1627 मोबिन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर प्रेस नोट - थाना शेरकोट

दिनांक - 17.02.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को 1150 ग्राम अवैध गांजे सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र रशीद निवासी मौ0 नई सराय करूबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की बाल्टी में रखा गांजा व गांजे



के गोले कुल 1150 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 35/24 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नौशाद पुत्र रशीद निवासी मौ० नई सराय करूबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

1150 ग्राम गांजा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त-

- 1.मु०अ०स० २३७/२०२२ धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2.मु०अ०स० 32/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 3.मु0अ0स0 39/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 4.मु०अ०स० ४११/२०२३ धारा ६०(१) आबकारी अधि० थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 5.मु०अ०स० ४९२/२०२३ धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 6.मु0अ0स0 35/2024 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 3.हे0का0 250 रवि कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 4.का० २०८२ बिन्टू कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 5.का० 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।



प्रेस नोटः- थाना किरतपुर

दिनांक- 17.02.2024

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.02.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों 1- जीशान पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 बसी किरतपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2- फरमान पुत्र इरफान निवासी मौ0 करसावान करबा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- 1. जीशान पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 बसी किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2. फरमान पुत्र इरफान निवासी मौ0 करसावान करबा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।





गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1. उ०नि० श्री शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2. मुख्य आरक्षी 547 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3. आरक्षी 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4. आरक्षी 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ

दिनांक 17.02.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 17.02.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्की पुत्र कमल निवासी पुराना कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 48/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. विक्की पुत्र कमल निवासी पुराना कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.आरक्षी सत्यवीर सिंह थाना अफजगढ जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



प्रेस नोटः- थाना हल्दौर

दिनांक 17.02.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 30 पाउच देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 17.02.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रताप कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम धनौरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 30 पाउच नाईट किंग मार्का देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 51/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम प्रताप उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. प्रताप कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम धनौरी थाना कोतावली देहात जनपद बिजनौर। बरामदगी का विवरण:-

30 पाउच देशी शराब नाईट किंग मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.आरक्षी विशाल तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
- 2.होमगार्ड देशराज सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।